न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः— 02/2025 विविध
निर्णय दिनांकः—24.02.2025
पीठासीन अधिकारीः—राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. श्योपाल गुर्जर पुत्र रायचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम लसाडिया तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः— श्री सीताराम जाट अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः—24.02.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 51 के आराजी खसरा नम्बर 293, 294 295, 296, 297, 298, 299, 300 कुल किता 08 कुल रकबा 10.5460 हैक्टेयर, खाता संख्या 52 के आराजी खसरा नम्बर 1340/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, खाता संख्या 53 के आराजी खसरा नम्बर 303, 304, 305, 306, 309 कुल किता 05 कुल रकबा 6.0190 हैक्टेयर, खाता संख्या 83 के आराजी खसरा नम्बर 1096 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, खाता संख्या 84 के आराजी खसरा नम्बर 1181 रकबा 3.6291 हैक्टेयर, खाता संख्या 143 के आराजी खसरा नम्बर 1201 रकबा 11.2793 हैक्टेयर, खाता संख्या 358 के आराजी खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.5943 हैक्टेयर, खाता संख्या 464 के आराजी खसरा नम्बर 1094 रकबा 06070 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लसाडिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। दर्ज राजस्व रिकार्ड प्रार्थी के पिता रायचन्द पुत्र गोरधन जाति गुर्जर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जो सम्वत् 2042 से सम्वत् 2045 तक राजस्व रिकार्ड में मेरे पिता का नाम सही दर्ज था। उक्त आराजी मेरी पिता की पुश्तैनी आराजी है प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 08/02/2024 को ग्राम लसाडिया में हो गया था प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में फौती का नामान्तकरण खुलवाने गया तो पटवारी हल्का लसाडिया ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करके बताया की उपरोक्त पैरा नम्बर 01 के समस्त खाता संख्या की जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 स्थाई जमाबन्दी वर्ष 2020 में मेरे पिता का नाम रायचन्द गुर्जर के बजाय रामचन्द्र गलत दर्ज कर दिया एवं खतौनी संख्या 143 में रायचन्द गुर्जर की बजाय रामचन्द्र पुत्र गोरधन

लगातार..................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी

जाति कुम्हार गलत अंकन कर दिया है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम मुताबिक पूर्व जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड के अनुसार रायचन्द पुत्र गोरधन जाति गुर्जर ही दर्ज था एवं अभी हाल ही प्रार्थी के पिता के नाम खतौनी संख्या 383 एवं 357 में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में भी रायचन्द पुत्र गोरधन जाति गुर्जर सही अंकन दर्ज है, प्रार्थी के पिता का पैरा नम्बर 01 में दर्ज राजस्व रिकार्ड के खाता संख्या में सम्वत् 2042 से 2045 रायचन्द पुत्र गोरधन जाति गुर्जर सही अंकन दर्ज चला आ रहा था लेकिन इसके बाद राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र गोरधन जाति गुर्जर गलत अंकन कर दिया एवं खतौनी संख्या 143 में प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र गोरधन जाति कुम्हार गलत अंकन कर दिया था, इस कारण प्रार्थी को अपने पिता की विरासत का नामान्तकरण खुलवाने में अडचन होने एवं प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज नहीं होने से उपरोक्त गलत अंकन को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र पुत्र गोरधन की बजाय रायचन्द पुत्र गोरधन जाति गुर्जर दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी के पिता के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमांण पत्र व अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम रायचन्द पुत्र गोरधन सही जाति गुर्जर सही रूप से दर्ज है एवं पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 मे भी प्रार्थी के पिता का नाम रायचन्द पुत्र गोरधन जाति गुर्जर सही दर्ज चला आ रहा था। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने पूर्व अंकन की अनदेखी कर रामचन्द्र गलत अंकन कर दिया है इसलिये राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता रामचन्द्र पुत्र गोरधन की जगह रायचन्द पुत्र गोरधन जाति गुर्जर राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित होगा। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने कारण दिनांक 15/12/2024 को जब प्रार्थी पटवारी हल्का से अपने पिता का फौती नामान्तकरण खुलवाने गया तो प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत नाम अंकन होने की जानकारी होने पर दस्तावेज प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकार का नियास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब नही देना जाहिर किया। अप्रार्थी सं0 1 का जबाब बन्द किया किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

लगातार..................3

उपखण्ड अधिकारी
फा.गी.

अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम लसाडिया मे स्थित खाता सं0 51, 52, 53, 83, 84, 358, 464, मे प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र गोरधन जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड है व खाता सं0 143 मे प्रार्थी के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र गोरधन जाति कुम्हार(प्रजापति) दर्ज रिकार्ड है। जबकि मुताबिक प्रदर्श 2 अन्य खाता सं0 383, 357 मे प्रार्थी के पिता का नाभ रायचन्द पुत्र गोरधन जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक प्रदर्श 1 ग्राम पंचायत लसाडिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे रामचन्द्र व रायचन्द दोनो एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है। मुताबिक प्रदर्श 4 जमाबन्दी सम्वत 2042 – 2045 मे उक्त विंवादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी के पिता का नाम रायचन्द पुत्र गोरधन जाति गुर्जर दर्ज रिकार्ड था। किन्तु सम्वत 2062 – 2065 के राजस्व रिकार्ड मे रामचन्द पुत्र गोरधन अंकित कर दिया गया जो निरन्तर बदस्तुर चली आ रही है। प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थी के पिता की मृत्यु पूर्व मे दिनांक 08.02.2024 को हो चुकी है जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम रायचन्द गुर्जर अंकित है। पत्रावली मे संलग्न अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनाधारकार्ड आदि मे रायचन्द पुत्र गोरधन अंकित है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रामचन्द्र पुत्र गोरधन व रायचन्द पुत्र गोरधन एक व्यक्ति है तथा रामचन्द्र पुत्र गोरधन का सही नाम रायचन्द पुत्र गोरधन जाति गुर्जर है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 51 के आराजी खसरा नम्बर 293, 294 295, 296, 297, 298, 299, 300 कुल किता 08 कुल रकबा 10.5460 हैक्टेयर, खाता संख्या 52 के आराजी खसरा नम्बर 1340/2 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, खाता संख्या 53 के आराजी खसरा नम्बर 303, 304, 305, 306, 309 कुल किता 05 कुल रकबा 6.0190 हैक्टेयर, खाता संख्या 83 के आराजी खसरा नम्बर 1096 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, खाता संख्या 84 के आराजी खसरा नम्बर 1181 रकबा 3.6291 हैक्टेयर, खाता संख्या 143 के आराजी खसरा नम्बर 1201 रकबा 11.2793 हैक्टेयर, खाता संख्या 358 के आराजी खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.5943 हैक्टेयर, खाता संख्या 464 के आराजी खसरा नम्बर 1094 रकबा 06070 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लसाडिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन रामचन्द्र पुत्र गोरधन जाति गुर्जर व रामचन्द्र पुत्र गोरधन जाति कुम्हार(प्रजापति) के स्थान पर

लगातार....................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी

रायचन्द पुत्र गोरधन जाति गुर्जर दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/2/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर